

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 423]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 अगस्त 2023 — श्रावण 27, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 17 अगस्त 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-42/2022/वाक/पांच (30).— छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 की धारा (1) की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार, एतद्वारा इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक को उस तिथि के रूप में नियत करती है, जिसको कि उक्त अधिनियम के प्रावधान प्रवृत्त होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिम शिखर गुप्ता, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 17 अगस्त 2023

क्रमांक एफ 10-42/2022/वाक/पांच (30).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-42/2023/वाक/पांच (30), दिनांक 17-08-2023 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिम शिखर गुप्ता, सचिव.

Atal Nagar, the 17th August 2023

NOTIFICATION

No. F 10-42 /2022/CT/V (30).— In exercise of the powers conferred by sub-Section (3) of Section (1) of The Chhattisgarh Settlement of Arrears of Tax, Interest and Penalty Act, 2023, State Government hereby appoints the date of publication of this notification in the official gazette as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
HIM SHIKHAR GUPTA, Secretary.